संख्या-39 /2023/569/23729502023/12-5099/55/2022

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल, 2023**

विषयः- बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के समस्त विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/04/बुन्देलखण्ड प्राकृ0खेती/2023-24, दिनांक 10.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के समस्त विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

प्रस्तावना-

उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत 09 एग्रोक्लामेटिक जोन का बुन्देलखण्ड एग्रोक्लाइमेटिक जोन के समस्त 07 जनपद "रेनफेड" एरिया के अन्तर्गत आते है। रेनफेड कृषि के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग तुलनात्मक रुप से कम है, किन्तु उपज का अच्छा मूल्य कृषको को नही मिल पाता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की संस्तुति तथा प्रदेश की नीति "गौ आधारित प्राकृतिक- खेती तन्त्र" को बुन्देलखण्ड एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सघन रुप से लागू किया जाना है, जिसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2022-23 से शासनसदेश सं0-63/2022/2155973/435/12-5-2020-सा0-11/2022 दिनांक 22 जुलाई, 2022 द्वारा किया जा रहा है। इस विधा को अपनाने से प्राकृतिक खेती के उपज जो रसायन मुक्त होगा का बेहतर मूल्य बुन्देलखण्ड के कृषकों को मिलेगा। प्राकृतिक खेती आज की मांग है।

गौ आधारित प्राकृतिक खेती कृषकों को कृषि उत्पादन लागत में आत्म निर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं रसायन-पेस्टीसाइड्स मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सात जनपद कमशः झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट सम्मिलित है जिनका कुल क्षेत्रफल 69000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र का अधिकतर भू-भाग पहाड़ी, पठारी तथा रेनफेड होने के कारण कृषि योग्य क्षेत्रफल तुलनात्मक रुप से औसतन कम है।

अतः सीमित प्राकृतिक संशाधनों के दृष्टिगत गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषकों के आर्थिक स्थिति को नया स्वरुप प्रदान करने का प्रस्ताव है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से जहाँ एक ओर कृषकों के कृषि लागत में कमी आयेगी वही दूसरी ओर मृदा एवं जल संरक्षण के माध्यम से सस्टेनेवल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- योजना का उद्देश्य –

- पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना।
- रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
- कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना।
- गौ आधरित प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को टिकाऊ रखना।
- मृदा उर्वरता में सुधार करना।

3- फार्मर्स् फील्ड स्कूल-

प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दृष्टिगत फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया जायेगा। जैसा कि सर्वविदित है कि प्राकृतिक खेती नालेज इन्टेसिव कृषि की विधा है, जिसे कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाने हेतु फार्मरस् फील्ड स्कूल के आयोजन की आवश्यकता है। अतः क्लस्टर गठन से पूर्व फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि कृषकों को सर्वप्रथम Learning by Doing के माध्यम से इस विधा को अपनाने हेतु प्रेरित हो सके। प्रत्येक फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन पर मदवार वित्तीय लागत निम्नवत् हैः-

फार्मरस फील्ड स्कूल (FFS) के आयोजन पर व्यय रू0 90800 प्रति FFS /क्लस्टर

क्र0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति हे0 रू0 में	लागत प्रति क्लस्टर रू0 में
1	2	3	4	5
1	क्लस्टर के प्रतिभागियों के 14 प्रशिक्षण सत्रों के लिये जलपान व्यवस्था पर व्यय	हेक्टेयर	280	14000
2	प्रक्षेत्र दिवस के शुभारम्भ हेतु बैनर आदि के लिये आकस्मिक व्यय	हेक्टेयर	96	4800
3	प्राकृतिक खेती किट रू0 1200 प्रति हेक्टेयर हेतु	हेक्टेयर	1200	60000
4	साहित्य एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि	हेक्टेयर	140	7000
5	पूरे सीजन के लिये विशेषज्ञों एवं फैसिलिटेटरों के लिये मानदेय (रू0 2500 प्रति विशेषज्ञ पूरे सीजन के लिये - 2 नग)	हेक्टेयर	100	5000
	योग-		**1816**	**90800**

4- चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिर्सोस पर्सन -

योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में गठित 235 क्लस्टरों में चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन क्लस्टर स्तर पर किया जा चुका है तथा वर्ष 2023-24 में द्वितीय चरण में 235 क्लस्टरों में चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन क्लस्टर स्तर पर किया जायेगा।

5- कृषकों के चयन हेतु पात्रता एवं क्लस्टर का गठन -

प्राकृतिक खेती की योजनान्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2022-23 में 235 क्लस्टर का गठन किया गया है तथा वर्ष 2023-24 में द्वितीय चरण में 235 क्लस्टर का गठन किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि चयनित क्षेत्र संहत रूप मे हो। योजना के अन्तर्गत कृषको का चयन उनकी इच्छुकता के आधार पर किया जायेगा। योजना अन्तर्गत वही कृषक पात्र होगें जो कि देशी गाय पालते हो अथवा निकटतम स्थापित गोशाला से गाय अधिग्रहण हेतु इच्छुक हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- क्षमता विकास -

क्लस्टर के अन्तर्गत चयनित चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट जनपद पर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र पर किया जायेगा। क्लस्टर गठन के उपरान्त चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा क्लस्टर के चयनित कृषकों का प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 06-06 प्रशिक्षण कराये जायेंगे।

7- योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय अनुदान -

योजना से जुड़े कृषकों को अपने प्रक्षेत्र पर निवेश तैयार करने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु रु0 9800.00 प्रति हेक्टेयर की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से देय होगी। प्रत्येक क्लस्टर पर "बायो रिर्सोस सेन्टर" स्थापित करने के संबंध में भारत सरकार से निर्गत होने वाली गाइडलाइन के अनुसार योजना अन्तर्गत डी0बी0टी0 के कार्यमदों में भविष्य में परिवर्तन किया जायेगा।

8- प्रमाणीकरण-

प्राकृतिक खेती विधा के प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र, गाजियाबाद से प्रोटोकाल तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार योजना अन्तर्गत प्रमाणीकरण के कार्य किये जायेंगे।

9- मृदा परीक्षण, प्रचार-प्रसार तथा मार्केट डेवलपमेंट -

1. योजना के आउटकम के आंकलन हेतु मृदा में जीवांश कार्बन की स्थिति एक महत्तवपूर्ण इन्डीकेटर है, जिसके लिए प्रत्येक कृषकों के प्रक्षेत्र का वर्षवार/सीजनवार मृदा नमूना परीक्षण की आवश्यकता है।
2. प्रथम मृदा परीक्षण 12 पैरामीटर (मैक्रों एवं माइक्रों न्यूट्रियन्ट) पर अप्रैल, 2023 में किया जायेगा तथा जनपद स्तर से मृदा परीक्षण रिपोर्ट की आन लाइन फीड़िग स्थापित प्राकृतिक खेती डैश बोर्ड पर की जायेगी।
3. मृदा नमूना का एकत्रीकरण चैम्पियन फार्मर की मदद से की जायेगी तथा नमूना ग्रहित करने वाली थैली का प्रंबंधन उप कृषि निदेशक द्वारा FFS किट से किया जायेगा।
4. दिनांक 25 अप्रैल, 2023 तक समस्त कृषकों के मृदा नमूना एकत्रीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय।
5. संयुक्त कृषि निदशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) कार्यालय से संचालित Soil Health and Fertility योजना से कन्वर्जन किया जायेगा।
6. प्रथम एवं अंतिम मृदा परीक्षण 12 पैरामीटर (मैक्रों एवं माइक्रों न्यूट्रियन्ट) एवं योजना के मध्य में 06 पैरामीटर (मैक्रों न्यूट्रियन्ट) पर मृदा परीक्षण किया जायेगा।
7. योजना के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला/गोष्ठी/सेमिनार इत्यदि किया जायेगा।
8. प्राकृतिक उत्पाद का विपणन प्रमाणीकरण के मानक के अनुसार किया जायेगा।

10- केंद्राध्यक्ष, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मऊरानीपरु, झाँसी के प्रांगण में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के निवेश को तैयार करने हेतु स्थायी रुप से गौशाला विकसित किया जाना है। स्थानीय गौवंश को संरक्षित करते हुए उनके गोबर एवं गौमूत्र से जीवामृत एवं बीजामृत बनाया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर 10 देशी गायों को निकटतम गौशाला से प्राप्त कर संरक्षित किया जायेगा, जिसके भरण पोषण पर रु0 30.00 प्रति दिन की दर से व्यय किया जायेगा। उक्त गौवंश के निवास हेतु पशुबाड़ा धनराशि रु0 5.00 लाख से प्रागढ़ में स्थापित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- प्रस्तावित योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्नवत् है:-

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में दो चरणों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना का वित्तीय विवरण (23500 हे0 क्षेत्रफल)

वर्ष – 2023-24

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	जनपद का नाम	कृषि योग्य क्षेत्रफल हे0 में	विकास खण्ड की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	क्लस्टर की सं0	प्रथम चरण		द्वितीय चरण	योग	अभ्युक्ति
						प्रथम वर्ष अवशेष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष		
						2023–24	2023–24	2023–24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झांसी	311834	8	4000	80	51.783	261.800	96.320	409.903	
2	जालौन	344623	9	4500	90	58.256	294.525	108.360	461.141	
3	ललितपुर	296477	6	3000	60	38.840	196.350	72.240	307.430	
4	चित्रकूट	173802	5	2500	50	32.365	163.625	60.200	256.190	
5	बांदा	349259	8	4000	80	51.292	261.800	96.320	409.412	
6	हमीरपुर	299103	7	3500	70	51.657	229.075	84.280	365.012	
7	महोबा	236239	4	2000	40	18.920	130.900	48.160	197.980	
		2011337	**47**	**23500**	**470**	**303.113**	**1538.075**	**565.880**	**2407.068**	
	परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासकीय व्यय 2%					4.087	30.740	11.310	46.137	
8	केंद्राध्यक्ष, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र मऊरानीपुर, झाँसी के प्रांगण में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के निवेश को तैयार करने हेतु स्थायी रुप से गौशाला विकसित किया जाना है।							**10**	**6.095**	
	महायोग -					**307.200**	**1568.815**	**577.190**	**2459.300**	

(आर0 बी0 सिंह)
निदेशक (बाढ़ो0यो0नि0)

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक

प्रथम एवं द्वितीय चरण वर्ष 2023–24

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती के कियान्वयन की वर्षवार एवं कार्य मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (23500 हे0 क्षेत्रफल)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम चरण				द्वितीय चरण		कुल योग		अभ्युक्ति
				प्रथम वर्ष अवशेष कार्य (2023–24)		द्वितीय वर्ष कार्य (2023–24)		प्रथम वर्ष कार्य (2023–24)				
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रू0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षेत्र में 1 FFS)	हेक्टेयर	1816	4703	85.410	0	0	11750	213.380	16453	298.790	
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	60000	7221	86.650	11750	141.000	11750	141.000	30721	368.650	
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा–बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1594	7.969	0	0	11750	58.750	13344	66.719	
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	600	1861	5.584	11750	35.250	11750	35.250	25361	76.084	
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	3600	0	0	11750	141.000	0	0	11750	141.000	
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, नग्गा, छन्ना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	11750	705.000	0	0	11750	705.000	
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	3600	0	0	11750	141.000	0	0	11750	141.000	
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	11750	117.500	0	0	11750	117.500	
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)	हेक्टेयर	800	0	0	11750	47.000	0	0	11750	47.000	
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर										
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति हे0)	हेक्टेयर	300	11750	35.250	11750	35.250	11750	35.250	35250	105.750	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम चरण				द्वितीय चरण		कुल योग		अभ्युक्ति
				प्रथम वर्ष अवशेष कार्य (2023-24)		द्वितीय वर्ष कार्य (2023-24)		प्रथम वर्ष कार्य (2023-24)				
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2	पी0जी0एस0 एवं रिजनल कान्सिल को सर्विस चार्जेज @Rs 1000 प्रति हेक्टेयर चार वर्षों के लिए (रू0 1000 प्रति हे0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एवं रू0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)	हेक्टेयर	700	11750	82.250	11750	82.250	11750	82.250	35250	246.750	
6.3	रेजड्यू एनालिसिस @ 3 मृदा नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रू0 10000.00 प्रति नमूना)	हेक्टेयर	300	0	0	0	0	0	0	0	0.000	
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0											
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 585 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	1385	0	0	11750	68.738	0	0	11750	68.738	
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	300	0	0	11750	11.750	0	0	11750	11.750	मा0 कैबिनेट उ0प्र0 से रू0 300.00 प्रति हे0 अनुमोदित है जिसे योजना की आवश्यकतानुसार प्रचार-प्रसार एवं मार्केटिंग कार्यमद में समायोजन हेतु संशोधित प्रस्ताव पर अनुमोदन निवेदित है।
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण @ Rs 105/ प्रति मृदा नमूना/प्रति कृषक/प्रति वर्ष तीन वर्षों हेतु(प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानित)	हेक्टेयर	315	0	0	11750	12.338	0	0	11750	12.338	मा0 कैबिनेट उ0प्र0 से रू0 216.50 प्रति हे0 अनुमोदित है जिसे योजना की आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष प्रति कृषक के मृदा नमूने के परीक्षण हेतु रू0 105.00 प्रति नमूने की दर से संशोधित प्रस्ताव पर अनुमोदन निवेदित है।
8	केंद्राध्यक्ष, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र गढ़वानीपुर, झाँसी के प्रांगण में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के निवेश को तैयार करने हेतु स्थायी रूप से गौशाला विकसित किया जाना।									10	6.095	रू0 5.00 लाख पशुबाड़ा स्थापित करने तथा रू0 1.095 लाख 10 गायों के भरण-पोषण पर एक वर्ष में व्यय होने वाली धनराशि।
	योग- (ब)				303.113		1538.075		565.880		2413.163	
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%				4.087		30.740		11.310		46.137	
	महायोग				307.200		1568.815		577.190		2459.300	

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0यो0)
कृषि भवन, लखनऊ।

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

12- योजना क्रियान्वयन एवं अन्य विभागों से समन्वय-

- बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती योजना का कियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक द्वारा योजना का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
- मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मार्ग निर्देशन में योजना के नोडल अधिकारी द्वारा अपर कृषि निदेशक (चावल) के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

13- योजना के अन्तर्गत कार्य सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया-

- समस्त भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों को दी जाने वाली सहायता *DBT (Direct Benefit Transfer)* के अन्तर्गत हस्तांतरित की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का 100 प्रतिशत सत्यापन क्लस्टर के नोडल अधिकारी, 20 प्रतिशत सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक जनपद 5 प्रतिशत कार्यों का सत्यापन किया जायेगा।

14- योजना की समीक्षा-

- योजना का विवरण आनलाइन/विभागीय वेबसाइट पर रखा जायेगा।
- क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर के नोडल अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट जनपद के उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी। (**परिशिष्ट-2 संलग्न है**)
- जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे जो जनपद की संकलित सूचना मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0यो0)) को प्रत्येक माह की 5 तारीख को उपलब्ध करायेंगे। (**परिशिष्ट-2 संलग्न है**)
- राज्य स्तर से सूचनाओं को संकलित कराकर कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा शासन को प्रेषित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. योजनान्तर्गत सर्वप्रथम उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा जिनके पास अधिक कृषित क्षेत्रफल हो तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल के स्थान पर ऐसे कृषकों के आंशिक क्षेत्रफल को ही सम्मिलित किया जाय।
2. एक फार्मरस् फील्ड स्कूल (FFS) का आयोजन यथा सम्भव ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा अन्यथा की दशा में आस-पास के दो ग्राम पंचायतो को मिलाकर उस स्थान पर किया जायेगा, जहा पर क्लस्टर गठित किये जाने है।
3. फार्मरस् फील्ड स्कूल का आयोजन उन कृषकों के प्रक्षेत्र पर किया जायेगा जो कि पूर्व से प्राकृतिक विधा से खेती कर रहे है तथा ऐसे कृषकों को क्लस्टर के अन्तर्गत भी चयनित किया जायेगा।
4. फार्मरस् फील्ड स्कूल आयोजन के अन्तर्गत एक्सपर्ट एवं फेसेलिटेटर के लिए प्राकृतिक खेती में अनुभव प्राप्त कृषक एवं अन्य एक्सपर्ट को हायर किया जायेगा।
5. योजना के भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों का अनुमोदन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
6. फार्मरस् फील्ड स्कूल का आयोजन रबी-2022 एवं खरीफ एवं रबी-2023 में किया जायेगा।
7. क्लस्टर का गठन जहां तक सम्भव हो संहत क्षेत्र (Compact Area) में किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रगति प्रतिवेदन–

परिशिष्ट–2

बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती की योजना
कार्य मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वर्ष– 2022–23

जनपद का नाम-

दिनांक-

क्र0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रू0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षत्र में 1 FFS)					
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)					
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा–बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु					
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक **प्रथम 2 वर्षों हेतु**					
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु					
5.1	देशी बीज प्रबन्धन/Rs. 3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)					
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)/Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में					

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (बा0बी0टी0)

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)					
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में					
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)					
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्ष हेतु					
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति हे0)					
6.2	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज @Rs 1000 प्रति हेक्टेयर चार वर्षो के लिए (रू0 1000 प्रति हे0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एव रु0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)					
6.3	रेजड्यू एनालिसिस @ 3 मृदा नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रु0 10000.00 प्रति नमूना)					

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (आई0एम0)
कृषि भवन, लखनऊ।

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0					
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 585 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति हे0					
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)					
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण @ Rs 105/ प्रति मृदा **नमूना/प्रति कृषक/प्रति वर्ष तीन वर्षों हेतु (प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानित)**					
कुल योग –						
प्रशासनिक व्यय / परियोजना प्रबंधन लागत 2% -						
महायोग -						

(विवेक कुमार सिंह)
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।